



# कार्यालय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, जयपुर)

क्रमांक:-

एफ-५(१७)कार्मिक/सा.प्र./जननि/२०२२/ १३४७ दिनांक:- २२.०२.२०२२

## कार्यालय आदेश

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पात्मक नियम 1996 एवं राजस्थान सेवा (संशोधन) नियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नांकित मृतक सरकारी कर्मचारी आश्रित को राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मत्रालयिक) सेवा नियम 1963 के अनुसार वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ १५ (१)एफडी/रूल्स/२०१७ दिनांक ३०.१०.२०१७ व आदेश क्रमांक एफ १५ (१)एफडी/रूल्स/२०१७ दिनांक ०९.१२.२०१७ के अन्तर्गत स्वास्थ्य निरीक्षक-द्वितीय/प्रबन्धक सोलिड वेस्ट के पद पर दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान २०१७ के शिड्यूल (iv) के पैलेवल एल-०८ के अनुसार १८५००/- रूपये प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र. सं	मृतक आश्रित का नाम	मृतक से संबन्ध (आश्रित)	जन्म दिनांक	मृतक कर्मचारी का नाम	मृत्यु दिनांक	पद
1.	श्री नीरज सोनवाल	पुत्र	०२.१२.१९९८	स्व. श्री संतोष	२६.०२.२०१९	स्वास्थ्य निरीक्षक-द्वितीय/प्रबन्धक सोलिड वेस्ट

उक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:-

1. उक्त नियुक्ति वित्त विभाग (नियम डिवीजन) के आदेश क्रमांक एफ-१ (२)एफडी /रूल्स/२००६ दिनांक १३.०३.०६ के अनुसार संशोधित सेवा नियमों के अन्तर्गत दो वर्ष के लिए स्वास्थ्य निरीक्षक-द्वितीय/प्रबन्धक सोलिड वेस्ट के पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी पर अस्थाई नियुक्ति के रूप में दी जा रही है। परिवीक्षाधीन अवधि संतोषप्रद पाये जाने पर ही नियमित नियुक्ति दिए जाने पर विचार किया जायेगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी अवधि में नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा—मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे।
2. उक्त नियुक्ति आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र, शपथ पत्र और नियुक्ति के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर दी जा रही है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज, शपथ पत्र, जानकारी के असत्य पाये जाने पर ये नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिए जायेंगे। साथ ही इस सम्बन्ध में आपराधिक कानून के अन्तर्गत कार्यवाही भी अमल में लाई जायेगी।
3. अभ्यर्थी की जन्म तिथि इनके द्वारा प्रस्तुत नियुक्ति आवेदन पत्र में अंकित एवं नगर निगम जयपुर द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (१०वीं) की अंकतालिका अनुसार अंकित की गई है।
4. उपरोक्त आश्रित आदेश जारी होने की दिनांक से १५ दिवस में उपायुक्त (कार्मिक), नगर निगम ग्रेटर जयपुर को कार्यग्रहण रिपोर्ट देंगे, निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं सम्भालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

कार्यभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें—

1. राष्ट्रम् अधिकारी स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र
2. जन्म प्रमाण पत्र
3. जाति प्रमाणपत्र
4. पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र
5. दो राजपत्रित अधिकारियों का अच्छे चालवलन का प्रमाण पत्र
6. नियुक्ति के पश्चात् मृतक के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण पोषण करने के लिए शपथ पत्र
7. दिनांक 01.06.2002 या इसके पश्चात् दो रो अधिक सन्तान नहीं होने के शपथ पत्र
8. दहेज नहीं लेने-देने का शपथ पत्र
9. तीव्रांगु उत्पादों का रोखन नहीं करने का शपथ पत्र
10. विवाह पंजीयन प्रमाण—पत्र
11. दो पासपोर्ट साईज फोटो

Sd-

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)

आईएस

आयुक्त

नगर निगम ग्रेटर जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. निजी सहायक महापौर महोदया/उपमहापौर महोदय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
2. निजी सहायक आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
3. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
4. अतिरिक्त आयुक्त (मुख्यालय) नगर निगम ग्रेटर जयपुर
5. उपायुक्त कार्मिक नगर निगम ग्रेटर जयपुर
6. समस्त उपायुक्त जोन/मुख्यालय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
7. वित्तीय सलाहकार/सहायक लेखाधिकारी कार्मिक/प्रोग्रामर/ ई-गवर्नेन्स शाखा, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
8. कार्यालय अधीक्षक मु०, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
9. प्रोग्रामर, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
10. अध्यक्ष, संयुक्त वात्मकी एवं सफाई श्रमिक संघ, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
11. सम्बन्धित कर्मचारी श्री
12. गार्ड फाईल

अयुक्त  
नगर निगम ग्रेटर जयपुर